न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 33 / 2022

श्री प्रेमनिधि शर्मा पुत्र श्री गोपालराम शर्मा 788 न्यू बागड कालौनी रूपवास जिला भरतपुर।

.........अपीलार्थी

बनाम

तहसीलदार, रूपवास।

............रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 07.06.2022**

अपीलार्थी श्री प्रेमनिधि शर्मा पुत्र श्री गोपालराम शर्मा निवासी 788 न्यू बागड कालौनी रूपवास जिला भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत तहसीदार रूपवास के खिलाफ प्राप्त हुई है। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 04.04.2022 से तहसीलदार रूपवास से सूचना चाही गई थी। तहसीलदार रूपवास द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर इस कार्यालय के पत्र कमांक/कोर्ट/22/291 दिनांक 16.05.2022 से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार रूपवास ने पत्र कमांक/एलआर/22/1421 दिनांक 27.05.2022 से जबाब भिजवाया है जो शामिल पत्रावली किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया। तहसीलदार (भू0अ0) रूपवास से प्राप्त जबाब का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में 4 बिन्दुओं पर तहसीलदार रूपवास से सूचना चाही गई थी। तहसीलदार रूपवास ने अपने जबाब में अंकित किया है कि बिन्दु संख्या 1 व 4 का रिकार्ड कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण सूचना नहीं दी जा सकी है। बिन्दु संख्या 2 व 3 के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी को चाही गई

........2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

 अपील / आरटीआई / 33 / 2022
प्रेमनिधि बनाम तहसीलदार रूपवास

सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा नियत अवधि में उपलब्ध नहीं कराई गई है। अपीलार्थी निःशुल्क सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है। अस्तु अपील आंशिक स्वीकार किया जाना उचित पाते है।

अतः आदेश है किः–

उपरोक्तानुसार अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। तहसीलदार रूपवास को निर्देशित किया जाता है कि वे बिन्दु संख्या 1 लगायत 4 की चाही गई सूचना का रिकार्ड शीघ्र तलाश कर राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी को निःशुल्क सूचना 15 दिवस में उपलब्ध कराई जावे। सूचना पर लगने वाला शुल्क दोषी कार्मिक से बसूल कर राजकोष में जमा कराया जावें। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रूपवास को पालनार्थ प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट न होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर, भरतपुर